राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1359/2012/जयपुर

मैसर्स आर.एन.मेटल्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
झोटवाडा, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त–के, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 06/अपील्स–III/12–13/ई में पारित आदेश दिनांक 25.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–के, जयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.03.2011 के जरिये वर्ष 2002–03 में सृजित मांग राशि रूपये 12,80,649/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के आलोच्य अवधिक के कर निर्धारण का अवलोकन करने पर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2002–03 के तहत अपीलार्थी को अनियमित छूट स्वीकार की गयी थी जिसको संशोधित कर 4 प्रतिशत की दर से कर राशि रू. 637139/– एंव ब्याज रू. 643510/– आरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.5.2012 द्वारा प्रकरण आंशिक स्वीकारते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना व्यवहारी को सुने धारा 37 के तहत आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को न्याय के विपरीत बतलाते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं प्रस्तुत उद्धरणों एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2012 पारित करते हुए प्रकरण आंशिक स्वीकारते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है जिसका सारांश निम्नानुसार है :–

"अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को सुनकर पुनः विधिजन्य रूप से विधिअनुसार कार्यवाही करे"

उपरोक्त आदेश व्यवहारी अपीलार्थी को पुनः सुनवाई दिये जाने के सम्बन्ध में है इसके तहत वह पुनः अपनी बात निर्धारण अधिकारी के समक्ष रख सकता है अतः प्रथम दृष्टया ही अपील में कोई सार नजर नहीं आता है। तदनुरूप व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

28.4.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष